

## झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग  
(कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य प्रभाग)

फोन: 0651-2400981, फैक्स:0651-2400982, ई-मेल: govjharkhandtourism@gmail.com

प्रेषक:

मनोज कुमार,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक  
झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड,  
राँची।

विषय:-

गुमला जिलान्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद से निर्मित किए जाने वाले Synthetic Hockey Field with Lighting at Swami Vivekanand Sports Complex, Gumla हेतु रू० 400,00,000/- (चार करोड़) मात्र निधि का आवंटन।

राँची, दिनांक 23.05.2025

प्रसंग -  
महाशय,

विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-70/रा०, दिनांक-18.01.2024

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश एवं कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पत्रांक-1112(नि), दिनांक- 19.05.2025 के द्वारा किए गए अध्याचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के योजना बजट मुख्य शीर्ष 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- उप मुख्य शीर्ष-03-खेलकूद तथा युवा सेवा - लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- उपशीर्ष -22- स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन- विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण- प्राथमिक इकाई- 45- निर्माण कार्य इकाई मद में उपबंधित राशि से रू० 4,00,00,000/- (चार करोड़) मात्र निधि आवंटित की जाती है। (विपत्र कोड: 52S42020379622000545)

2. आवंटन की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र.	आवंटित किये जाने वाले पदा० का पदनाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	एकरारित राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	अद्यावधि आवंटित राशि	राज्यांश मद से वर्तमान आवंटित राशि (राशि रू० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची	Synthetic Hockey Field with Lighting at Swami Vivekanand Sports Complex, Gumla	24,11,77,367 /-	22,54,10,000 /-	8,00,00,000 /-	16,11,77,367 /-	2,00,00,000 /- (केन्द्रांश मद से)	4,00,00,000 /-
कुल			24,11,77,367	22,54,10,000	8,00,00,000	16,11,77,367	2,00,00,000	4,00,00,000 /-

(चार करोड़) रूपये मात्र।

- राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, राँची से की जायेगी।
- कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का कार्यान्वयन पी०डब्लू०डी० कोड के आलोक में विषयांकित योजना से संबंधित खेल एवं युवाकार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित प्राकलन, जो National Project Construction Corporation Ltd., New Delhi (भारत सरकार का उपक्रम- Miniratna Category-I Company) के सक्षम स्तर यथा क्षेत्रीय प्रबंधक, एन०पी०सी०सी० लिमिटेड, पूर्वांचल जोन, राँची से तकनीकी स्वीकृत है, के अनुरूप ही कराना सुनिश्चित करेंगे।

गुमला

5. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन के क्रम में हॉकी इण्डिया के ग्राउण्ड निर्माण विशेषज्ञ से FIIH के नियमानुरूप Field of Play, खिलाड़ी सिटिंग एरिया, निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा/जाँच प्रत्येक माह करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं जाँच प्रतिवेदन की एक प्रति इस विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का कार्यान्वयन विषयांकित योजना हेतु उपायुक्त कार्यालय, गुमला के पत्रांक- 484/क्री०, दिनांक-16.09.2023 के द्वारा चिन्हित सरकारी भूमि पर नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
7. योजना का कार्यान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में ही कराया जायेगा तथा योजना पुनरीक्षण सामान्यतः नहीं किया जायेगा तथापि अति आवश्यक होने पर अपवाद की स्थिति में पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा जिस पर विभाग के अनुमोदनोपरान्त ही प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का कार्य कराया जायेगा।
8. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची विषयांकित योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त खेल सरचना को निदेशक, खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. आवंटित राशि किये गये कार्य के विरुद्ध व्यय किया जायेगा तथा बगैर विभाग के पूर्व अनुमोदन से अग्रिम राशि की निकासी नहीं की जायेगी।
10. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक- 17.04.98 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता तथा झारखण्ड लोक निर्माण संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
11. यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि स्वीकृत/व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस आवंटन से राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
12. निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे तथा प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
13. योजना हेतु आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, झारखण्ड कार्यालय को ससमय समर्पित करते हुए इसका संसूचन अधोहस्ताक्षरी को किया जायेगा।
14. इस योजना के कार्यान्वयन में सचिव पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

*Brajesh*  
22/5/25  
(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 23-05-2025

ज्ञापांक : 36/37.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/जिला क्रीडा पदाधिकारी, गुमला/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/अध्यक्ष, हॉकी इंडिया, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Brajesh*  
22/5/25

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक: 23-05-2025

ज्ञापांक : 36/37.

प्रतिलिपि:- Shri O.P. Chanchal, Under Secretary, Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports, Department of Sports, Mission Directorate- Sports Development, Hall No.- 109, JLN Stadium, Lodhi Raod, New Delhi- 110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Brajesh*  
22/5/25

सरकार के सचिव



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Art Culture, Spo

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/ST-03-02/2024/-36

दिनांक - 23-May-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 52 42020379622000545 4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 03 - खेलकूद तथा युवा सेवा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 22 - स्वामी विवेकानन्द स्मारक सहित राज्य के विभिन्न खेल संरचनाओं का निर्माण एवं उन्नयन 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	28268	RNCBLD111 SANJAY KUJUR E.D. J.S.B.C.C.L.RANCHI 45 - निर्माण कार्य	40,000,000.00 रुपये चार करोड
State Scheme : CONSTRUCTION & UPGRADATION OF STATE, DISTRICT & SUB DIVISION LEVEL Central Scheme : STADIUM/ASTROTURF SWAMI VIVEKANAND MONUMENT/NCC BUILDING & SPORTS INFRASTRUCTURE(1787)				



योग: रुपये चार करोड

40,000,000.00

क्रमिक योग:

(MANOJ KUMAR)  
SECRETARY